प्रेस नोट-थाना कोतवाली
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 08.11.2025

थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता — अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा, एक अभियुक्त गिरफ्तार व भारी मात्रा में हथियार बरामद।

थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक अभियुक्त गिरफ्तार, दो चालू तमंचे, चार अधबने तमंचे, चार जिंदा कारतूस, नगद धनराशि, एंड्रॉयड स्मार्टफोन सहित तमंचे बनाने के उपकरण व सामग्री (धौंकनी, आरी, ब्लेड, कोयला, लोहे की कतरन, रॉड आदि) की भारी मात्रा बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर निर्देशन में चिन्हित किये गये अपराधियों एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य मे प्रचलित अभियान के क्रम मे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त जालिम सिंह पुत्र स्व कप्तान सिंह निवासी ग्राम पर्वतपुर थाना कांट जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 55 वर्ष को मय दो अदद प्लास्टिक का कट्टा (एक हरा व एक पीला) जिनमें धोंकनी, बाँख, टूटे हुए व पुराने ब्लेड, आरी, रॉड, कैन, डब्बा, कोयला, 05 किलोग्राम का बाट, कटा हुआ तवा, लकड़ी के गुटके, प्लास्टिक की काली व सफेद पन्नी तथा लोहे की कतरन तथा प्लास्टिक के 11 अदद पारदर्शी डिब्बे जिनमें क्रमशः 02 अदद चालू अवैध तमंचे 315 बोर, 02 अधबने तमंचे 315 बोर, 02 अधबने तमंचे 12 बोर, 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद एंड्रॉयड स्मार्टफोन, कुल रुपये 1910, तमंचे बनाने के विभिन्न उपकरण व सामग्री के साथ **बरेली सीतापुर हाईवे पर गौशाला तिराहे पर से उतरकर बाई तरफ** जाने वाले कच्चे रास्ते से समय 01.12 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-458/25 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

जालिम सिंह पुत्र स्व कप्तान सिंह निवासी ग्राम पर्वतपुर थाना कांट जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 458/25 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-

बरेली सीतापुर हाईवे गौशाला से थोड़ा आगे, दिनांक 22.08.2025 को समय 06.32 बजे

अभियुक्त से माल बरामदगी का विवरण :-

अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर दो अदद प्लास्टिक के कट्टों (एक हरे रंग का एवं एक पीले रंग का) में रखी निम्न वस्तुएँ बरामद हुईं।

अवैध शस्त्र एवं कारतूस:

1. अदद चालू अवैध तमंचे 315 बोर,

2. अधबने तमंचे 315 बोर,
3. अधबने तमंचे 12 बोर,
4. अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

अवैध तमंचा निर्माण से संबंधित उपकरण एवं सामग्री:

1. धोंकनी, बाँख, टूटे हुए व पुराने ब्लेड, आरी, रॉड, कैन, डब्बा, कोयला, 05 किलोग्राम का बाट, कटा हुआ तवा, लकड़ी के गुटके,
2. प्लास्टिक की काली एवं सफेद पन्नियाँ, लोहे की कतरन,
3. प्लास्टिक के 11 अदद पारदर्शी डिब्बे,
4. तथा तमंचा निर्माण हेतु प्रयुक्त विभिन्न औजार व उपकरण।

अन्य बरामद सामग्री:

1. अदद एंड्रॉयड स्मार्टफोन,
2. ₹1910 नगद धनराशि।

पूछताछ अभियुक्त जालिम सिंहः-

पूछताछ पर अभियुक्त जालिम सिंह ने बताया है कि मैं अपना व परिवार का खर्चा चलाने के लिए तमंचे बना कर जनपद व जनपद के बाहर बेचता हूँ धोंकनी व पड़े हुए विभिन्न उपकरणों के संबंध में सख्ती से पूछने पर बताया कि ये सब माल मेरा ही है मैं अभी भट्टी जलाकर तमंचे बनाने का काम कर रहा था व अलग अलग स्थान दिन में चिह्नित करके रात में तमंचे बनाने का काम करता हूँ जिससे की पुलिस या किसी और की नजर में आने से बचा रहूँ। साहब ये जो तमंचे बनाने का सामान आपने पकड़ा है इस सामान से लगभग 12-15 तमंचे और बनाता तथा बेचता मुझे एक तमंचे के लगभग 5 से 6 हजार रूपये मिल जाते हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार सिंह थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री सुशांत रावत थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 श्री नितिन मलिक थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 1899 महेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 2722 गवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
6. का0 2257 रोहित कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
7. का0 2246 सोनू सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
8. का0 2689 हितेन मलिक, थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
9. का0 1720 दीपेन्द्र, थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।